



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 31/2022

दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति भीना उम्र वयस्क निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.....वादी

01. छीतरलाल पिता सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दूदी पुत्री सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. प्रभुलाल पिता सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजी पुत्री सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
05. हीरी पत्नि सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
06. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
.....प्रतिवादीगण

- उपस्थित :- 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी
02. एकपक्षीय - प्रतिवादीगण सं. 1 से 3

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 20/11/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 18.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 65 रकबा 1.2788 हैक्टेयर भूमि कुल किता 01 रकबा 1.2788 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा है। वादी का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड बारण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1756 दिनांक 27.10.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

उप खण्ड अधिकारी

लगातार पेज संख्या 02 पर

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	प्रभुलाल पिता भंवरलाल मीणा निवासी भीलों का मोहल्ला मजरा दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां खातेदार रहन BOB शाखा बिजौलियां	जलेरी विरान	65/1	0.2131
	योग		खसरा 01	0.2131
02	छीतर पुत्र सवाईराम भील हि0 1/5, दूदी पुत्री सवाईराम भील हि0 1/5, प्रभु पुत्र सवाईराम जाति भील हि0 1/5, राजी पुत्री सवाईराम भील हि0 1/5, हीरी पत्नि सवाईराम भील हि0 1/5 सा0 जलेरी खातेदार	जलेरी विरान	65/2	1.0657
	योग		खसरा 01	1.0657

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 20 / 11 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

क्र.संख्या 31/2022

दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

01. छीतरलाल पिता सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दूदी पुत्री सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. प्रभुलाल पिता सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजी पुत्री सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
05. हीरी पत्नि सवाई जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
06. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 20/11/2025

डिक्री दिनांक : 20/11/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री जगदीश चन्द्र धाकड एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
प्रभुलाल पिता भंवरलाल मीणा निवासी भीलों का मोहल्ला मजरा दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां खातेदार रहन BOB शाखा बिजौलियां	जलेरी विरान	65/1	0.2131
योग		खसरा 01	0.2131
हीतर पुत्र सवाईराम भील हि0 1/5, दूदी पुत्री सवाईराम भील हि0 1/5, प्रभु पुत्र सवाईराम जाति भील हि0 1/5, राजी पुत्री सवाईराम भील हि0 1/5, हीरी पत्नि सवाईराम भील हि0 1/5 सा0 जलेरी खातेदार	जलेरी विरान	65/2	1.0657
योग		खसरा 01	1.0657

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की

से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २० माह ११ वर्ष 2025 को किया गया।

नोट- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक २०/११/2025 को मुर्तिब की गई।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां